(1) (7)

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

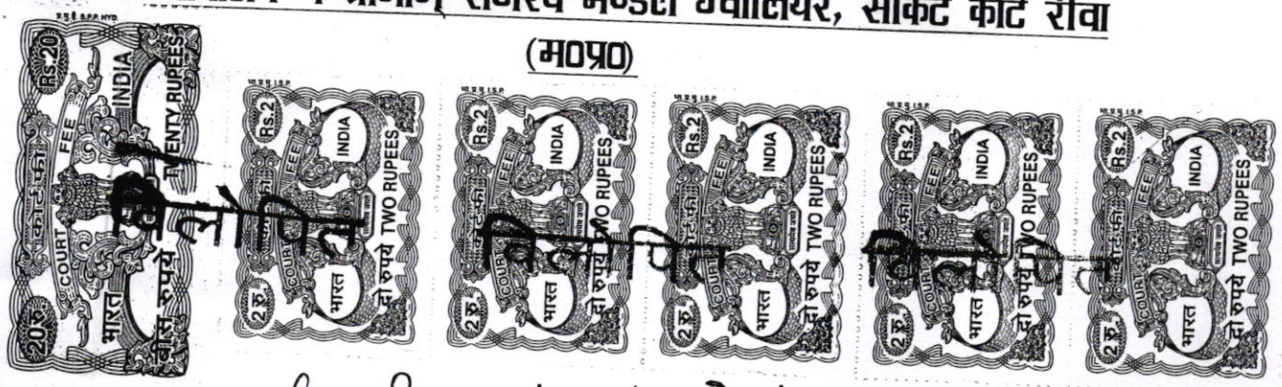

विलोपित विलोपित विलोपित

निगरानी– 3510/2018/शहडोल/भू.रा

जगतधारी पिता अकाली जायसवाल सा0 पपौंध, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. मुस0 पुनिया बेवा कंधई जायसवाल सा0 पपौंध, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
2. सुखदेव पिता शम्भू जायसवाल तथाकथित मुख्तयारआम उत्तरवादी क्र. 1, निवासी ग्राम पपौंध, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... उत्तरवादीगण

श्री विनोद भार्गव एडवो. द्वारा आज दि. 6-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
06-06-2018

राजस्व निगरानी

विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के राजस्व प्रकरण क्र– 149/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 70/अपील/2016–17 आदेश दिनांक 30.07.2017 निगरानी अंतर्गत धारा 50 (I) म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि मौजा पपौंध, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नं.– 898, 950, 975/1, 1004, 1021/1, 1109, 1110, 1111, 1125, 1126, 1134, 1136, 1138, 1155, 1164, 1178, 1158, 1176, 1484, 1487, 1488 निगरानीकर्ता एवं उत्तरवादी के सहस्वामित्व एवं कब्जेदखल की आराजी है जिसका बटवारा जरिये रा0प्र0क0– 32/अ27/2016–17 आदेश दिनांक 04.03.2017 के द्वारा किया जा चुका है जिसमें उत्तरवादी पूरी तरह सहमत थी तथा बटवारा पत्रक में अपना निशानी अंगूठा मौके से बटवारा पत्रक तैयार करने के समय लगाया गया था। उत्तरवादी को जारी सम्मन को उसका मुख्तयारआम सुखदेव कलार प्राप्त किया तथा सम्मन में उसके हस्ताक्षर है तथा वह

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3510/2018/शहडोल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-06-2018	आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31-05-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है, अत: आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	